भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4253
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

नए दंड विधि विधान

4253. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील :
श्री तेजस्वी सूर्या :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नए दंड विधि विधानों के संबंध में न्यायिक अधिकारियों, न्यायाधीशों, लोक अभियोजकों और अन्य संबंधित हितधारकों को प्रशिक्षित करने के लिए आवंटित की गई निधि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस संबंध में कितने सत्र आयोजित किए गए और प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अनुदेशकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने नए दंड विधानों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्य न्यायिक अकादमियों और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को कोई ज्ञापन, दिशानिर्देश अथवा रूपरेखा जारी की है और यदि हां, तो ऐसे दिशानिर्देशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधि शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय और संस्थान नए दंड कानूनों और जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों, यदि कोई हों, को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए उसे अद्यतन करें, शिक्षा मंत्रालय और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं;और

(ङ) क्या भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और आईईए में राज्यों द्वारा पहले किए गए संशोधन, नए अधिनियमित दंड विधियों के अंतर्गत प्रभावी रहेंगे और यदि हां, तो इनके एकीकरण अथवा रूपांतरण के लिए क्या तंत्र है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा नई आपराधिक विधि विधानों पर न्यायिक अधिकारियों, न्यायाधीशों, सरकारी अभियोजकों, और अन्य प्रासंगिक हितधारकों के प्रशिक्षण के लिए कोई अलग से धनराशि आवंटित नहीं की गई है ।

(ख) : गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि सरकार ने पुलिस, जेल, अभियोजकों, न्यायिक, फोरेंसिक कर्मियों और आम लोगों सहित सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित पहलें की है :--

1. सभी हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा तेरह प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं और 351 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/वेबिनार/सेमिनार आयोजित किए गए, जहाँ मास्टर प्रशिक्षकों सहित 52879 अधिकारियों/कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने भी बीपीआरएंडडी के समन्वय में जेल, फोरेंसिक, न्यायिक और अभियोजन पक्ष के 10,81,819 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है, जिसमें 10,49,895 पुलिस अधिकारी सम्मिलित हैं ।

2. आईजीओटी-कर्मयोगी भारत पोर्टल द्वारा नई आपराधिक विधियों पर अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए तीन पाठ्यक्रम (बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए का परिचय) शुरू किए गए हैं । तारीख 24.10.2024 तक लगभग 234918 अधिकारियों ने तीनों पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं, जबकि 390925 अधिकारियों ने कम से कम एक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है ।

3. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनएलसी) द्वारा नई आपराधिक विधियों पर नियमित प्रशिक्षण दिया गया है ।

4. नई आपराधिक विधि के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर (14415) के साथ सीसीटीएनएस तकनीकी सहायता कॉल सेंटर की स्थापना की गई है ।

5. प्रेस सूचना ब्यूरो, आकाश वाणी और दूरदर्शन ने नई आपराधिक विधियों से संबंधित सलाह, समाचार बुलेटिन, कार्यक्रम, चर्चा, प्रेस विज्ञप्ति और इन्फोग्राफिक्स के प्रकाशन के माध्यम से प्रेस और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक प्रचार उपाय किए हैं।

6. माईगोव (MyGov) ने ट्रांसफॉर्मिंग रेडियो वेबसाइट और सभी माईगोव सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से सूचनात्मक फ़्लायर्स अपलोड किए हैं । नई आपराधिक विधियों पर नागरिक जागरूकता और नागरिक सहभागिता के लिए एक ईमेलर लगभग 7+ करोड़ लोगों को भेजा गया है।

7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1,200 विश्वविद्यालयों और 40,000 कॉलेजों में सूचनात्मक फ़्लायर्स प्रसारित किए गए हैं और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने भी नई आपराधिक विधियों के बारे में संकायों और छात्रों के बीच संवेदनशीलता के लिए लगभग 9,000 संस्थानों को लिखा है । उच्च शिक्षा संस्थानों ने नई आपराधिक विधियों के विभिन्न उपबंधों पर केंद्रित समूह चर्चा, कार्यशालाएँ, सेमिनार और प्रश्नोत्तरी आयोजित की हैं, जिसमें छात्रों, संकायों और अन्य कर्मचारियों की व्यापक भागीदारी के साथ बड़े बदलाव पर प्रकाश डाला गया है ।

8. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त रूप से हिंदी और अंग्रेजी में नई आपराधिक विधियों पर वेबिनार आयोजित किया, जिसमें क्रमशः लगभग 40 लाख और 50 लाख जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया ।

9. विधि कार्य विभाग द्वारा नई दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में पांच सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें विभिन्न राज्यों के पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन, जेल और विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(ग) : सरकार द्वारा, नई आपराधिक विधियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्य न्यायिक अकादमियों और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को कोई ज्ञापन, दिशानिर्देश या रूपरेखा जारी नहीं की गई है ।

(घ) : भारतीय विधिज्ञ परिषद् (बीसीआई) ने सूचित किया है कि परिपत्र (बीसीआई:डी संख्या 468/2024/सीआईआर-006/2024(एलई)), तारीख 20.05.2024 के माध्यम से देश भर के सभी विधिक शिक्षा केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि वे शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से हाल ही में शुरू किए गए नई आपराधिक विधियों को शामिल करने के लिए अपने पाठ्यक्रम को अद्यतन करें ।

(ङ) : आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए को निरस्त कर दिया गया है और उनकी जगह बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए को लाया गया है । आपराधिक विधियों का विषय संविधान की सातवीं

अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय है । जैसा भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन उपबंधित है, कोई भी राज्य संशोधन लाया जा सकता है ।

****